कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

3212
पत्रांकः– /प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई–21/स्था0 दिनांक 25 जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित जिलेदारों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 स0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम					
01	श्री नन्दकिशोर जुयाल/01.01.1973 /अल्मोड़ा।	सिंचाई खण्ड, रामनगर	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–07 (क) (ख) के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा–7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार ।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगेः–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

3212
संख्याः– /प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल, हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रामनगर/बागेश्वर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः– 3213 /प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई–21/स्था0 दिनांक 25 जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित **सींचपर्यवेक्षक** को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 स0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
1	2	3	4	5	
			अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम		
01	श्री कौस्तुबानन्द डालाकोटी /15.12.1968/अल्मोडा।	सिचांई खण्ड, हल्द्वानी।	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा–7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

संख्याः– 3213 /प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी/अल्मोडा।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,, हल्द्वानी/पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी/लोहाघाट।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः– 3214 /प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई–21/स्था0 दिनांक 25 जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपर्यवेक्षक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
			अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम		
01	श्री आशीष कुमार,शर्मा /18.6.1974/नैनीताल।	सिचांई खण्ड, रामनगर।	सिंचाई खण्ड, रानीखेत।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा–7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक,तिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

संख्याः– 3214 /प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी/अल्मोडा।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल, हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रामनगर/रानीखेत।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

3215

पत्रांकः– /प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई–21/स्था0 दिनांक 25 जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित **सींचपर्यवेक्षक** को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
			अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम		
01	श्री दीवान सिंह /01.08.1976 /अल्मोड़ा।	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी।	सिंचाई खण्ड, रानीखेत।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनिययम की धारा–7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

3215

संख्याः– /प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग,अल्मोडा।
2. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), (यांत्रिक) सिंचाई विभाग, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,, अल्मोडा/नलकूप मण्डल, हल्द्वानी।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत/नलकूप खण्ड, हल्द्वानी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. कट फाईल हेतु ।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

3216
पत्रांक:– /प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई–21/स्था0 दिनांक 25 जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित **सींचपर्यवेक्षक** को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
			अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम		
01	सुभाष चन्द्र/28.06.1977 /नैनीताल	सिचांई खण्ड,, सितारंगज।	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा–7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

3216
संख्या:– /प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी/अल्मोडा।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,, हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सितारंगज/अल्मोड़ा।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

3216
पत्रांक:– 3217 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0–2 / ई–21 / स्था0 दिनांक 25 जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित **सींचपर्यवेक्षक** को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
			अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम		
01	श्री परस राम / 7.8.1971 / उधमसिंहनगर	सिचांई खण्ड, रुद्रपुर।	सिंचाई खण्ड, घारचूला।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा–7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

3216
संख्या: 3217 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी / अल्मोडा।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल,, हल्द्वानी / पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर / घारचूला।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

3218
पत्रांकः– /प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई–21/स्था0 दिनांक जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित **सींचपर्यवेक्षक** को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
	2	3	4	5
		अनिवार्य स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम		
01	श्री बालम सिंह /05.06.1972 /अल्मोड़ा	सिचांई खण्ड, रानीखेत।	सिंचाई खण्ड, रामनगर।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–10 (क) (ख) के तहत स्थानान्तरण।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोंधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

3218
संख्याः– /प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी/अल्मोडा।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,, हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रानीखेत/रामनगर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः– 3219 /प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई–21/स्था0

दिनांक 25 जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित **सींचपर्यवेक्षक** को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
	2	3	4	5
		अनिवार्य स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम		
01	श्री बची सिंह /15.4.1979 /अल्मोड़ा।	सिचांई खण्ड, लोहाघाट।	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–10 (क) (ख) के तहत स्थानान्तरण।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

संख्याः– 3219 /प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, अल्मोडा।
2. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) (यांत्रिक) सिचाई विभाग, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,,पिथौरागढ/नलकूप मण्डल, हल्द्वानी।
4. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लोहाघाट/नलकूप खण्ड, हल्द्वानी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
7. कट फाईल हेतु ।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

3220

पत्रांकः– /प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई–21/स्था0 दिनांक 25 जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित **सींचपर्यवेक्षक** को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय **में** एतद्द्वारा **स्वंय के अनुरोध पर** स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
	2	3	4	5
		स्वयं के अनुरोध के आधार पर		
01	श्री चन्दन सिंह मेहर /04.02.1980/बागेश्वर।	सिचांई खण्ड, कपकोट।	पीवएम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड,हल्द्वानी	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–13)(6) के तहत स्थानान्तरण।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

3220

संख्याः– /प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी/अल्मोडा।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,, हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, कपकोट/पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0 हल्द्वानी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

9

3221

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः– /प्र0अ0/सि0वि0/का0–2/ई–21/स्था0

दिनांक 25 जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालो को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
			अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम		
01	श्रीमती बीना शर्मा 01.07.1978/बरेली	सिचांई खण्ड, काशीपुर।	सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा–7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह ' उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

3221

संख्याः– /प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल,हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, काशीपुर/अल्मोड़ा।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

3222

पत्रांकः– /प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई–21/स्था0 दिनांक 25 जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित **सींचपालो** को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
			अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम		
01	श्री विजय कुमार पाण्डेय, /19.11.1966/देहरादून	सिचांई खण्ड, देहरादून।	सिंचाई खण्ड, पुरोला।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनियम की धारा–7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह 'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

3222

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

संख्याः– /प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून/उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून/ पुरोला।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः– 3223 /प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई–21/स्था0 दिनांक 25 जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित सींचपालो को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
	2	3	4	5
		अनिवार्य स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम		
01	श्री भरत सिंह /16.08.1970/टिहरी।	सिचांई खण्ड, पुरोला।	सिंचाई खण्ड,, नरेन्द्रनगर।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

संख्याः 3223 /प्र0अ0/कार्मिक/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, देहरादून/हरिद्वार।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल, उत्तरकाशी/नई टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पुरोला/नरेन्द्रनगर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांकः– 3224 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–21 / स्था0 दिनांक 25 जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित **सींचपालो** को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
	2	3	4	5
		अनिवार्य स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम		
01	श्री रणवीर सिंह नेगी, / 14.10.1964 / टिहरी।	सिचांई खण्ड, नई टिहरी।	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोंधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

संख्याः– 3224 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, हरिद्वार।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल, नई टिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नई टिहरी / नरेन्द्रनगर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

(14) (13)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:– 3225 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–21 / स्था0 दिनांक 25 जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित **सींचपालो** को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा
	2	3	4	5
		अनिवार्य स्थानान्तरण दुर्गम से सुगम		
01	श्री बलवन्त सिंह / 12.10.1967 / अल्मोड़ा।	सिचांई खण्ड, बागेश्वर।	सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी।	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोंधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

संख्या:– 3225 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, अल्मोड़ा / हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल, हल्द्वानी / अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, बागेश्वर / हल्द्वानी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

3226

पत्रांक: 3226/ प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–21 / स्था0

दिनांक 25 जून 2019

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानो के अन्तर्गत अनुसार राजस्व अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित **वरिष्ठ मुख्य राजस्व सहायक ग्रेड–2**, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में उल्लखित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्रविधानानुसार वापसी का वर्ष
	2	3	4	5	
			अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम		
01	श्री महेश चन्द्र जोशी, / 30.6.1963 / अल्मोड़ा	सिचांई खण्ड, सितारंगज	सिंचाई खण्ड, रानीखेत	उत्तराखण्ड लोक सेवको के लिए स्थान्तारण विधेंयक–2017 की धारा–07 के तहत स्थानान्तरण।	अधिनिययम की धारा–7 (ग) में निहित प्राविधानानुसार

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय से स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिक को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व " उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या इस उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा, वह **'उत्तरखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एंव अपील) नियमावली,2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

मुकेश मोहन
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)

3226

संख्या: 3226 / प्र0अ0 / कार्मिक / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य अभियन्ता (स्तर–2), सिंचाई विभाग, हल्द्वानी / अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता,सिंचाई कार्य मण्डल, अल्मोड़ा / उधमसिंहनगर।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, सितारगंज / रानीखेत।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. विभागीय पोर्टल पर अपलोड हेतु।
6. कट फाईल हेतु ।

(शरद श्रीवास्तव)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

15